**श्रीमती सरोज दुबे** : महोदय, सारे अपराधी पकड़े जा चुके हैं । सरकार ने सारी कार्यवाही कर ली है ...**(व्यवधान)**... रणबीर सेना के समर्थक दलितों के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**...

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** : आपको मालूम भी है कि लक्खी सराय कहां है ? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN : Shri Pramod Mahajan,

---

## THE SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUITS LAYOUT-DESIGN BILL, 1999

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the protection of the semiconductor integrated circuits layout-designs and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*The question was proposed.*

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** (पश्चिमी बंगाल) : सभापति जी, सूचना क्रांति के विषय पर ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती सरोज दुबे** (बिहार) : बिहार की जनता आपके कब्जे में नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : सभापति जी, माननीय संसदीय और सूचना तकनीकी मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उस पर अपनी पार्टी की ओर से राय रखने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। सूचना तकनीक और इलेक्ट्रानिक जगत में निरन्तर हो रहे परिवर्तन आज के समय का यथार्थ है। इस यथार्थ से हम चाहकर भी आंखें नहीं चुरा सकते हैं। सभापति जी, यह हकीकत है कि सूचना तकनीक के क्षेत्र में और माइक्रो इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन किस तरह मनुष्यों की जिंदगी में, राष्ट्र की जिंदगी में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। इनकी अर्थ-नीति में भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है और अर्थ-नीति में इनकी बढ़ती हुई भूमिका के चलते आज हम यह देख रहे हैं कि राष्ट्रों के बीच में भयंकर प्रतिस्पर्धा, भयंकर प्रतिद्वंदिता सी छिड़ गई है। इसीलिए इस क्षेत्र में बौद्धिक सम्पदा

अधिकारों को लेकर के एक नये विमर्श की शुरूआत हो चुकी है और इस विमर्श के दो पहलू हैं। एक पहलू सूचना तकनीक के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा पहलू इसके व्यापारिक पहलू के साथ जुड़ा हुआ है। सभापति जी, जब सूचना तकनीक के व्यापारिक पहलू की हम चर्चा करते हैं तो जाहिर है कि आज पूरी पूंजीवादी दुनिया में एक तरह से यह धारणा फैलाई जा रही है कि पेटेंट कानूनों के जरिए उसने अनुसंधान और अविष्कार के कार्यों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया है लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलटी है। अगर आदमी के तमाम क्रियाकलापों के श्रोत सिर्फ मुनाफा केन्द्रित हो जाएंगे तो जाहिर है कि पूंजीवादी दुनिया इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटिड सर्किट्स लेआउट-डिजाइन विधेयक पेश किया है, उस विधेयक के संबंध में चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि आज यह विधेयक किस पृष्ठभूमि में लाया गया है। पेटेंट कानूनों का जो अब तक प्रचलित रूप चला आ रहा था उस पैटेंट के प्रचलित दायरे के अन्दर हम सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटिड सर्किट्स लेआउट-डिजाइन विधेयक को नहीं ला रहे थे क्योंकि हमारे सामने कई इतर समस्याएं थीं। इसीलिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में चर्चा होने लगी और उसी अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूंगी कि वर्ल्ड इंटलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गनाइजेशन ने 1985 में सेमी कंडक्टर लेआउट डिजाइन को लेकर के एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने एक मसौदा तैयार किया एक अन्तर्राष्ट्रीय संधि का और इस अन्तर्राष्ट्रीय संधि को 1989 में अंतिमरूप दिया गया। हमारा यह आज का विधेयक उसी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की उपज है।

सभापति जी, इस विधेयक के प्रारूप में कहा गया है कि विश्व वाणिज्य संगठन की शर्तों को पूरा करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है। सभापति जी, कोई भी विधेयक अगर हम इस दृष्टिकोण से लायेंगे कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संगठन की शर्तों को पूरा करना है, उसके तकाजों को पूरा करना है तो यह सवाल उठता है कि क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय तकाजों को ही पूरा करना है या इन तकाजों को पूरा करते हुए हमें अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को भी देखना है? इसका हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के हितों पर क्या परिणाम होगा? हमारी कम्प्यूटर टेक्नालॉजी पर इसका क्या असर होगा? सभापति जी, जब हम अपने देश के कम्प्यूटर परिप्रेक्ष्य में और सूचना तकनीक के आज के माहौल को देखते हैं तो क्या दृश्य है? लगता है कि बालू की भीत पर जैसे हम अटावी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रातों-रात सूचना तकनीक के नाम पर, इनफोसिज़ टैक्नोलॉजी के नाम पर कई कम्पनियां मशरूम की तरह खड़ी हो गयीं और हमारे देश में लोग दुनिया के सबसे

बड़े, सबसे धनी लोग बन गये और सुबह जब उनकी नींद खुली तो पता चला कि जिस सम्पत्ति के वे मालिक बने थे, वह सम्पत्ति आधी रह गयी है । किस बालू की जमीन पर वे लोग खड़े हुए थे? हमारी कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी का आधार क्या है? आज सॉफ्टवेयर पर हमारी सारी पूंजी लग गयी है और हार्डवेयर पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है । अमेरिका की पैंटियम कम्पनी है, वहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर - दोनों का समन्वय है लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, हम सॉफ्टवेयर में लगातार काम कर रहे हैं और पैसा इकट्ठा हो रहा है । शेयर मार्केट रातों-रात चढ़ता है और उतर जाता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि जब आप इतना महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आ रहे हैं - एक ऐसा विधेयक जिसका हमारे देश के भावी विकास के साथ बहुत गहरा संबंध है - ऐसे विधेयक को लाते समय क्या सिर्फ हमारे दिमाग में डब्ल्यू.टी.ओ. के तकाज़े होने चाहिए? ऐसे विधेयक को लाते समय हमारे देश के भावी विकास को भी ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं और आज तक इस क्षेत्र में दुनिया के विभिन्न देशों ने जिस तरह अपने अनुसंधान कार्यों की रक्षा की है, यह सब क्यों नहीं हमारे परिप्रेक्ष्य में लाया गया? मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगी कि इस विधेयक को लाते समय इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा कर दी गयी । हमें याद है कि जब हमारे यहां पर पेटेंट कानून को लेकर चर्चा हो रही थी, उस समय भी यह सवाल उठा था और हमने अपने अनुभवों से इस बात को सीखा था कि हम प्रोडक्ट पेटेंट को नहीं अपनाएंगे, हम प्रोसैस पेटेंट को अपनाएंगे और इसी प्रोसैस पेटेंट को अपनाने से हमारे देश में दवा उद्योग को कितनी बड़ी मदद पहुंचाई, हमने इम्पोर्ट सब्सीट्यूट तैयार किए और हिन्दुस्तान में दुनिया के सब देशों से सस्ते दामों पर दवाइयां उपलब्ध करायी । आज डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देशों पर आपने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है और प्रोडक्ट पेटेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी है । इसके भावी परिणाम अभी से हमारे सामने आने शुरू हो गये हैं । इस सैमी-कंडक्टर बिल के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आप सैमी कंडक्टर डिज़ाइन, इंटीग्रेटिड ले आउट डिज़ाइन को भी एक तरह का प्रोडक्ट मान लीजिए और इसको अगर आप प्रोडक्ट मान लेते हैं तो ज़ाहिर है कि आप प्रोडक्ट पेटेंट की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और प्रोडक्ट पेटेंट की प्रक्रिया को जब आप अपनाते हैं तो आपके सामने विकल्प सीमित हो जायेंगे । साम्राज्यवादी देश तो इस ताक में लगे हुए हैं - क्योंकि पहले ही आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ढांचागत बुनियाद आपके सामने नहीं है - इसलिए वह नहीं चाहेंगे कि आप इस दिशा में कुछ भी करें । आपके पास साधन नहीं हैं, आपके पास संसाधन नहीं हैं । एक माइक्रो कम्प्यूटर चिप, एक सैमी-कंडक्टर को बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं तो इस कम संसाधनों वाले देश में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर हमें इस क्षेत्र में विकास करना है तो

हमें प्रोसैस पेटेंटिंग का रास्ता अपनाना होगा। दुनिया के तमाम देशों में ऐसी प्रक्रिया अपनायी गयी है । मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि किस तरह अमेरिका ने उस समय, 1984 में इस बात को देखते हुए कि आगामी समय में किस तरह इस क्षेत्र में तकनीक का विकास होगा, उसने अपने इस क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए 1984 में सैमी-कंडक्टर चिप प्रोटैक्शन ऐक्ट बनाया और इस ऐक्ट में उन्होंने यह व्यवस्था की कि रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अगर आप उसी तरह का एक दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं तो वह बौद्धिक सम्पदा अधिकार के तहत नहीं आएगा, वह बौद्धिक सम्पदा अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसी तरह जापान में, कनाडा में और बहुत सारे देशों में इस प्रक्रिया को अपनाया गया लेकिन हमारे देश में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है। यह विधेयक स्टैंडिंग कमेटी को भी दिया गया लेकिन इस सबके बावजूद इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा की गयी।

MR. CHAIRMAN: Please wind up.

**श्रीमती सरला माहेश्वरी** : इसलिए महोदय, मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि वास्तव में जो रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस महत्वपूर्ण बिल में क्यों छोड़ दिया गया है? इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन रखा है और मैं चाहूंगी कि मंत्री जी बोलें। तब उसके बाद मैं उस संशोधन के महत्व को बताऊंगी कि आज की हमारी इस कम्प्यूटर टैक्नोलॉजी को अगर हमें सुरक्षित रखना है, अगर हमें इस क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है तो रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया क्यों बहुत ज़्यादा जरूरी है। वरना सूचना तकनीकी की चाहे आप कितनी अच्छी पिक्चर हमारे सामने रखें कि भारत इतना आगे बढ़ रहा है सिलिकॉन वैली वगैरह में लेकिन वास्तव में हम बालू की भीत पर खड़े हुए हैं। अगर वास्तव में आपको इसको आधार देना है, मज़बूत आधार देना है तो हमारे देश के इन हितों की ओर आपको ध्यान देना होगा।

MR. CHAIRMAN: Shri Eduardo Faleiro. Not there. Dr. Mahesh Chandra Sharma.

**डॉ. महेश चन्द्र शर्मा** (राजस्थान) : सभापति महोदय, मैं इस अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिज़ाइन विधेयक, 1999 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश का जो मूल पेटेंट विधेयक है, उस पर हमारी संसद की कमेटी चर्चा कर रही है लेकिन एक मूलभूत बात इस विधेयक पर यह कहनी होगी कि हमारे देश की एक स्थिति है और वह स्थिति यह है कि हमारे घरों में यदि कोई वैज्ञानिक पैदा हो जाए तो उसकी यह नियति है कि उसे विदेश ही जाना पड़ेगा। किसी वैज्ञानिक को ठीक प्रकार से काम देने की

स्थिति हमारे देश में नहीं है क्योंकि हमारा उद्योग तंत्र, आर.एंड डी. अनुसंधान और विकास के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा उद्योग तंत्र सुरक्षित रहा है प्रोसेस पेटेंट के कारण और इसलिए दुनिया भर की तकनीक को प्रक्रिया उलट के माध्यम से हम लोग अपनाते रहे हैं। विश्व के किसी भी देश में जाइए, हर प्रकार की वैज्ञानिक प्रयोगशाला में भारतीय वैज्ञानिक वहां हमको अनुसंधान करता हुआ प्राप्त होगा लेकिन भारत में वैज्ञानिकों को यह सुविधा नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों की सुरक्षा की व्यवस्था हमारे कानूनों में नहीं है ।

महोदय, सबको मालूम है कि जो कलात्मक अनुसंधान होते हैं, कलात्मक अनुसंधानों की जो बौद्धिक सम्पदा है, उसकी रक्षा के लिए कॉपीराइट की व्यवस्था रहती है और कॉपीराइट का कानून उस अनुसंधान की रक्षा करता है । लेकिन यह जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, हम जानते हैं कि विश्व में, जिसको "विद्युतिकी" कहते हैं, जिसको "सूचना प्रौद्योगिकी" कहते हैं, उसका आज ऐसा विकास हुआ है कि दुनिया का चित्र और चरित्र ही बदलता जा रहा है। सूचना तकनीकी ने, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी ने विश्व के परिदृश्य को बदल दिया है। महोदय, यह जो एकीकृत परिपथ हैं अर्थात् इंटिग्रेटेड सर्किट, इसके एक चिप पर लघु से लेकर वृहत तक एक बड़ी रेंज है। इस बड़ी रेंज पर होने वाले अनुसंधान पर इतना अधिक श्रम और इतना अधिक धन व्यय होता है कि यदि इस बौद्धिक सम्पदा की सुरक्षा की व्यवस्था न हो तो हिंदुस्तान में तो कोई अनुसंधान करेगा ही नहीं, बाहर ही लोग अनुसंधान करेंगे और बाहर ही उनका पेटेंट लेंगे। अब यह सोचने की बात है कि हमारे ही वैज्ञानिक दुनिया भर में जाकर अनुसंधान करें, वहीं वे पेटेंट लें, अपनी बौद्धिक सम्पदा की रक्षा का अनुनय किसी दूसरे देश से करें और हम यहां पर उसको कॉपी करें, उसके प्रोसेस को किसी प्रकार बदलकर उस अनुसंधान का उपयोग कर लें । यह स्थिति आज तक थी पर अब यह स्थिति नहीं रह सकती। इसके न रह सकने के दो बड़े कारण हैं । एक कारण है विज्ञान की द्रुत गति से प्रगति और दूसरा कारण, जिसका वर्णन सरला जी ने किया, उस पर मैं दो वाक्य अलग से भी कहना चाहूंगा वह यह है कि डब्लूटीओ के एग्रीमेंट पर हमने हस्ताक्षर किए और उस हस्ताक्षर के कारण हम पर यह बाध्यता है कि हम अपने कानून को डब्लूटीओ के एग्रीमेंट के अनुकूल बदलें। ऐसा बाध्यताकारी यह डब्लूटीओ निकाय है। मेरा अपना मत है यदि यह निकाय ऐसा न होता तो अच्छा होता। किसी सम्प्रभु देश को कोई निकाय निर्देशित करे या जब सम्प्रभुताएं किसी से निर्देशित होती हैं तब वह मर जाती हैं। इसलिए यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि किसी के निर्देशों पर हम अपनी संसद में कानून बनाएं। लेकिन तथ्यों को उल्टा नहीं जा सकता, इतिहास में पीछे लौटा नहीं जा सकता। जिन लोगों ने डब्लूटीओ के ऊपर साइन किए थे, वे इन

बाध्यताकारी अनुबंधों से लड़ते तो अच्छा होता। लेकिन अब यह कोई अच्छी बात नहीं है, इस देश की सरकार ने, इस देश के नुमाइंदों ने किसी के दबाव में आकर उस अनुबंध को स्वीकार कर लिया और उसके स्वीकार होने के कारण भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार अजीब प्रकार के अपमान को सहना पड़ा। वह अपमान यह था कि निर्धारित अवधि में जब हम अपना पेटेंट लॉ नहीं बदल सके तो डब्लूटीओ द्वारा हम पर मुकदमा चलाया गया और उसमें हम हारे। उस हार के बाद हम यहां कानून बदलने के लिए बाध्य हुए। इसी प्रकार हमने क्यू आर एस टाइम पर नहीं बदले, क्यू आर एस नहीं हटाए, हम पर मुकदमा हुआ और हम फिर हारे। इसके बाद हमने फिर उसको बदला। मैं प्रमोद जी को बधाई देता हूं कि कम से कम इन्होंने इस संदर्भ में कि हम विश्व मंच पर हारें, अपमानित हों और फिर सदन में आकर उसे बदलें, इसकी बजाय ठीक समय पर, एप्रोप्रिएट टाइम पर वह यह बिल सदन में ले आए। डब्लूटीओ के बाध्यताकारी निर्देशन यह एक अलग बात है लेकिन जहां तक इस बिल का मैरिट है, यह बिल हमें चाहिए या नहीं चाहिए, डब्लूटीओ को भूल जाएं, तो मेरा मत है कि यह बिल हमको चाहिए। भारत में वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिक प्रतिभाओं को, वैज्ञानिक निकायों को और उससे भी ज्यादा एक जरूरत है जो पिछले पचास सालों में भी पूरी नहीं हुई, वह यह है कि हम अपने औद्योगिक क्षेत्र और अनुसंधान को सेतु-बंधित करें। हमारा औद्यागिक क्षेत्र अनुसंधान से कटा हुआ है, आर.एंड डी. से कटा हुआ है परिणामतः हम विश्वभर मे नकली उत्पादों के उत्पादक हैं, सैकेंड रेट उत्पादों के उत्पादक हैं। भारत का वैज्ञानिक भारत के उत्पाद से जुड़े, इसके लिए आवश्यक है कि उसके अनुसधान की बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हो। यह तकनीकी विषय है। इस अर्द्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास के अनुसधान में पूरा विश्व लगा हुआ है। आज विश्व के बहुतांश देशों ने इस संदर्भ में अपना यह कानून बना लिया है। इसलिए हम चाहते हैं, हम इसमें दो राय नहीं हो सकते कि भारत के वैज्ञानिकों को उनके अनुसंधान की बौद्धिक संपदा की रक्षा प्राप्त हो और यह प्राप्त होने के लिए एक समुचित विधेयक की आवश्यकता है और एक सुरक्षा विशेष के लिए एक समुचित विधेयक हो, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। तीसरा मुद्दा विधेयक के गठन से संबंधित है। सभापति महोदय संसार भर के लोकतंत्रों को एक चिन्ता हो रही है। चिन्ता यह है कि विधायिका के अधिकारों का क्षरण हो रहा हैं । कार्यपालिका विधायिका पर हावी होती जा रही है । विधि निर्माण में विधानपालिका दोयम और कार्यपालिका प्रथम बन गई है। यह एक चिन्ता का विषय है । कार्यपालिका में भी जो डेमोक्रेटिक एक्जिक्यूटिव है कभी-कभी वह बेचारा लगता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जिक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेट है वह हावी लगता है। भारत के संविधान की टीका करते हुए अनेक बातें कहीं गई हैं । उसमें एक बात यह भी है कि भारत का

संविधान वकीलों का स्वर्ग है । मुझे लगता है कि हम जो कानून पास करते हैं वे भी वकीलों के स्वर्ग हैं। विधेयकों की भंगिमा ऐसी नहीं होती कि उसे लोकतंत्र का लोक समझ सके। जिस प्रकार से यह विधेयक गठित हुआ है उस संदर्भ में मुझे लगता है कि यह और सरल हो सकता था। यह जटिल है । इसके साथ ही यह विधेयक कम्प्रेहेंसिव भी है। यह पहला विधेयक है इसलिए मुझे लगता है कि भविष्य की पीढ़ियों को इसमें काफी फेर-बदल करना पड़ेगा। विधेयक की अंतिम धारा -96, सच कहें तो इसकी मूल धारा है क्योंकि इस धारा के अंतर्गत इसके पहले जितने भी प्रावधान हैं उन प्रावधानों के आधार पर सरकार नियम बनाएगी तथा वे नियम सदन में रखे जाएंगे । मुझे लगता है कि वे नियम, जो यहां रखे जाएंगे, जब उन पर चर्चा होने की संभावना होगी तब विधेयक का प्रारूप खुलकर और खिलकर सामने आएगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक उचित समय पर लाया गया है। यह उचित विधेयक है । मेरा अनुरोध है कि भारत के सब सांसद इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Sir, I rise to support the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Bill, 1999. Many countries which attach importance to the protection of Intellectual Property Rights in the semiconductor integrated circuits provide for *sui generis* protection of layout designs of integrated circuits. As we all know, the World Trade Organisation Agreement, ratified by India, has provisions for the Trade-related Intellectual Property Rights with regard to setting up of standards concerning availability, scope and use of Intellectual Property Rights, Layout-Design of Integrated Circuits, etc. Developing countries have a transition period of five years w.e.f. 1.1.95, and they have tried to amend their laws in accordance with the provisions of the TRIPS Agreement. India, as one of the signatories to the WTO Agreement, is also expected to amend and mould its laws in accordance with the TRIPS Agreement and formulate a suitable legislation. This Bill was referred to the Standing Committee on Science and Technology. It is understood that they have examined it in detail and they have interacted with scientists and law experts.

This Bill provides for protection of Semiconductor Integrated Circuits layout design through (a) a process of registration (b) a mechanism for distinguishing layout designs which are to be protected (c) rules to prohibit registration of layout-designs which are not original and which have been commercially exploited (d) provision with regard to infringement, payment of royalty for registration of layout design (e) provisions for dealing with willful infringement by way of punishment and (f) by appointing a Registrar

for registering the Layout Designs and a mechanism of Appellate Board. I request the hon. Minister to establish the Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Registry or the Appellate Board at Chennai. Let us not concentrate all the important offices in Delhi alone.

Sir, the Bill has been already examined in detail by the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests. I request the House to pass the Bill unanimously. Thank you.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity and I have no difficulty in passing this legislation. I am supporting this legislation. But while going through the Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests, it becomes very clear that the main reason why this Bill is brought in as pointed out by the reports of the Ministry of Information Technology, is an international obligation, India being a signatory to the TRIPS Agreement. Now, the point is this. We are signing there and we are passing here in this House a lot of legislations protecting the Intellectual Property Rights, which are basically the IPRs of those industrialised countries. The point which I want to make here is, be cautious. No country, in history, has industrialised and developed with this type of a legislation. At that point of time, when the developed countries developed themselves, they were freely, or almost freely, copying from each other. Now, we are in the process of developing and they are coming up with a different set-up for us, an entirely different schedule for us. We are not supposed to industrialise in the manner in which they have done. We are not supposed to do what they have done. We are supposed to have so many restrictions which are going to be very difficult for us at this stage of our development. This is point number one.

The second point is this. It has become a fashion of this Government to decry, by just looking up to the superpower and its satellites, the developing countries. Don't think that the developing countries have no clouts whatsoever. That is a wrong assumption. The developing countries, when they got together, managed to throw aside the labour standards, for instance. That was due to the concerted efforts of the developing countries. In this context, what I am saying is, don't neglect that avenue and, therefore, defend your interests along with the interests of the countries similarly situated by posing a united front in this regard.

In this context, I may mention that recently there was a Summit Meeting at the level of the Heads of Government of the Group of 77 in Havana. Now, I have already regretted that our Prime Minister did not or could not attend that meeting. But, we had a senior Minister of this Government, the Minister of Human Resource Development, attending that meeting on behalf of the Government. It is very surprising that the Minister, on coming back from that important meeting, did not make a statement in the House on the crucial matter on which the developing countries got together at the highest level to protect their interests. What is the reason? Why did not the Minister make a statement? This is in sharp contrast to another Minister, the Minister of External Affairs, making a statement on the NPT Review Conference in which India doesn't participate and the Conference is still going on. It will still continue for a few days more and much before the Conference was over, without any apparent rhyme or reason, the Minister of External Affairs came and made a statement here. Now, I request the Government to let us know what our Minister did at the Summit Meeting of the Group of 77 in Havana. What are the decisions that are taken there? This is of great relevance to a country like ours at this point of time.

The last point which I want to make is that we have a company here in the public sector. As far as I know, it is the only company in the public sector, which is of substance on the subject, that is, the Semiconductor Complex at Mohali in Punjab. They briefed the Standing Committee on this matter and they suggested some amendments, particularly, in the provisions relating to registered users. They also suggested that some parts of the provisions in clauses 7(2) and 86 might be deleted. I request the Minister to give importance to our companies and no less importance to those companies which are in the public sector while considering this legislation and, in fact, all legislations. Thank you.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I want to speak for a minute.

MR. CHAIRMAN: Do you want to speak now or at the time of taking up the amendments?

You have given here that you want to say something on the amendment to clause 56.

**श्री प्रमोद महाजन** : 56 में कोई अमेंडमेंट तो नहीं है ।

**श्री सभापति** : अभी नहीं, अभी तो जनरल का जवाब दे दीजिये ।

**श्री प्रमोद महाजन** : इसके पहले अमेंडमेंट तो हमें मिलना चाहिये था ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: He wants to speak when we take up clause -by-clause consideration.

SHRI JIBON ROY: No, Sir...

MR. CHAIRMAN: If you want to speak now, you can speak. Then you will not be allowed to speak later on.

**श्री जीवन राय** : सभापति महोदय, यह जो लम्बे लम्बे बिल आते हैं और हम से पास करवाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि यह हम अपने पक्ष में पास कर रहे हैं या विदेश वालों के पक्ष में पास कर रहे हैं । The point is, whether we have scrutinised the Bill in detail or not. That is a very big point. I find that a few days back, Shri Pranab Mukherjee made a comment on this Bill' that it was in the interest of the Indian producers. I take his comments but जो अमेंडमेंट मैं लाया हूं, ५६ को देख कर मैं हैरान हो गया whether it is in support of the people, the Indian producers, or not. In the original Bill, you have said in clause 56 that "Any person who contravenes any of the provisions of section 18 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which shall not be less than fifty-thousand rupees but may extend to ten lakh rupees, or with both." The amendment which you have come up with now says "That at page 20, line 18, for the words "contravenes any" the words "contravenes knowingly and wilfully any" be ***substituted***.. That means the law enforcement authority will have to prove that the offence was committed knowingly and wilfully. No enforcement authority will be able to prove that. Therefore, the entire Bill becomes redundant or inoperative. Therefore, I want to know whether this change is made in the interest of the Indian producers, or to make the Bill inoperative, or, to help somebody else. I am not a technical person. I want clarifications from the hon. Minister. What are the real implications of substituting the words 'contravenes any ' with 'contravenes knowingly and wilfully any'? Is it meant to make the Bill inoperative? If it is so intended, then it will not help the Indian producers. That is my submission.

**श्री प्रमोद महाजन** : सभापति जी, मैं उन सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक की चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिनका इस विधेयक से सीधा संबंध नहीं है। उन पर कोई प्रतिक्रिया दे कर मैं अपने ही विधेयक को पारित करने में संकट खड़ा नहीं करना चाहता हूं । ...(**व्यवधान**)... इसलिए

मैं उन मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सूचना तकनीकी क्षेत्र में और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत कोई रेत के किले नहीं बना रहा है। आज सारी दुनिया भारत का लोहा इस क्षेत्र में मान चुकी है। हां यह सच है कि हमें अभी और बहुत लम्बा सफर इसमें तय करना है। हम सब मिल कर इसका प्रयास कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का विषय नहीं है। इसलिए मैं सदन से यही अपेक्षा करूंगा कि यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहली बार भारत का लोहा सारी दुनिया मान रही है। आपने जो गलतियां बताई हैं, कमियां बताई हैं, वह जरूर बताएं। जैसे आपने कहा कि हम सॉफ्टवेयर में बहुत ध्यान दे रहे हैं लेकिन हार्डवेयर में हमको जितना ध्यान देना चाहिये, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह आपकी आपत्ति उचित है क्योंकि इसमें ध्यान देना जरूरी है। यह सच है कि साफ्टवेयर का निर्माण बहुत आसान होता है और हार्डवेयर में काफी पैसा, अनुसंधान और सारी चीज़ें लगती हैं और उस के कारण उस प्रकार स्थिति में सरकार जरूर यह प्रयास करेगी । अगर हम एक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो केवल साफ्टवेयर के आधार पर नहीं, हार्डवेयर के आधार पर भी हमें बनना पड़ेगा। इसलिए सरला जी ने ध्यान आकर्षित किया है, वह हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि एक ऐसी क्रान्ति हिन्दुस्तान में हो रही है, दुनिया में हो रही है, भारत का लोहा जब दुनिया मान रही है तो हमारी ओर से कुछ ऐसा नहीं कहा जाए। जैसे मैंने कहा कि जो गलत हो, वह जरूर कहिये। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि रेत के किले बना रहे हैं तो उसके कारण जो आज हिंदुस्तान में नौजवानों में एक उत्साह है दुनिया में अपनी धाक जमाने में उस उत्साह में किसी प्रकार की कमी न आए। अब कौन आदमी कितना अमीर बनता है और शेयर मारकेट क्या होता है, उसकी मारकेट कैपिटल क्या होती है मुझे मालूम नहीं। लेकिन कुछ क्षण के लिए क्यों न हो दुनिया का दूसरा नम्बर का सबसे अमीर हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान में रहकर है। बहुत सारे अमीर हैं जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर रहते हैं। लेकिन जिसने सारी जिंदगी हिंदुस्तान में बिताई और वह कभी भले दो महीने के लिए हो दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति अगर बना हो तो मुझे लगता है कि इसमें हम सबको अच्छा ही लगने की बात है और अगर उसकी मारकेट कैपिटल कम हुई हो तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। इसलिए इसमें मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करूंगा कि यह देखें।

अब जहां तक इसके संबंधित विषय हैं उसमें जिन्होंने समर्थन किया है और जिन्होंने विरोध किया है उन दोनों ने एक मुद्दा उठाया है कि हम तो यह विश्व व्यापार संगठन के दबाव में कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठन में हमें हस्ताक्षर करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे इस विवाद में मैं इस क्षण में नहीं जाना

चाहता हूं क्योंकि ये हस्ताक्षर बहुत पहले हो चुके हैं और उसके बाद अब इस विवाद में कुछ भूमिका लेकर कुछ चर्चा करें इसकी आज कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना समझाऊं कि मैं यह मानता हूं कि हम उसके साथ ऐसी भी मनःस्थिति में न रहें कि विश्व व्यापार संगठन कोई एक दूसरी संस्था है और हम एक सावरेन पावर हैं तथा वह कोई ऐसी पावर है जो हमको रोज आदेश दे रही है और उसके आदेश से हम काम कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि विश्व व्यापार संगठन सबका संगठन है। हमने अगर उसमें हस्ताक्षर किए हैं तो हम उसके बराबरी के हिस्सेदार हैं ...(व्यवधान)... That may be your viewpoint. But when you sign an international treaty, you are part of the WTO, as the USA is part of the WTO. Suppose, the USA implements a decision of the WTO, you also have to implement the decision of the WTO. You cannot say that somebody else is dictating.

यह ठीक है जैसा मैंने कहा कि अगर डिक्टेट होते तो बहुत पहले कर देते। यह भी विधेयक जब आया सर, आपको याद होगा कि इसको 1 जनवरी, 2000 के पहले पूर्ण करना चाहिए था क्योंकि उसने 5 साल का समय दिया था। 1 जनवरी 1995 से हमने नहीं किया। पिछली बार हमने दिसम्बर के अधिवेशन में डब्ल्यू टी ओ रिलेटेड कुछ बिल पास किए तब सदन की यह इच्छा हुई और खास करके सी पी आई (एम) के बंधुओं की यह इच्छा हुई तो हमने उनको कहा कि भेज दीजिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोई डरे-डरे कि डब्ल्यू टी ओ ने कहा है तो इसको 31 दिसम्बर के पहले कर दो, ऐसा हमने नहीं किया। Standing Committee took its own time, rightful time. उन्होंने रिकमेंडेशन की और आज हम मई में विचार कर रहे हैं - पांच महीने डेड लाइन के बाद। इसलिए यह डब्ल्यू टी ओ के कारण निर्मित बिल है, लेकिन कोई दबाव में हिंदुस्तान काम कर रहा है, हमारी सार्वभौम संसद काम कर रही है यह कहना ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में हस्ताक्षर-राष्ट्र होने के कारण जो कानून में हमको बदलाव लाने हैं वह लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक एक-दो या तीन जो मुख्य सीधे मुद्दे उठाए गए हैं उनका मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। सरला जी ने पूछा कि डिफेंस आर्गेनाइजेशंस इसमें कंसल्ट हुई थीं क्या? हां, हमने डी आर डी ओ से इसमें कंसलटेशन किया था, भारत इलेक्ट्रानिक्स से कंसलटेशन किया था। जो 68 क्लाज हैं मैं उसका थोड़ा बाद में भी बताऊंगा, यह बेसिकली इंडियन सिक्योरिटी की दृष्टि से रखा हुआ क्लाज है। जैसे आपने कहा, मैं भी कोई बहुत टेक्निकल व्यक्ति इसमें नहीं हूं। लेकिन हम इसमें पेटेंट प्रोसेसिंग में क्यों नहीं गए, इस प्रकार की जब एक चर्चा आई तो -To guard the Intellectual Property Rights, we already have the Patents Act

and the Copyright Act. Everybody is aware that the Copyright Act is a general kind of thing which, basically, deals with the print media. The Patents Act actually demands the concept of originality and novelty. Now the semiconductor design is not originality and novelty altogether. There can be originality and novelty, but there can be, as she was describing, reverse engineering also. The Patents Act or the Copyright Act are not enough for guarding the Intellectual Property Rights, so far as the semiconductor layout design is concerned. That is why the WTO thought that there was a need for a separate law. और उस दृष्टि से हम इसमें सेपरेट लॉ लाये हैं। अब सवाल यह आता है, जैसे उन्होंने भी कहा कि सेपरेट लॉ लाते समय 1984 में अमरीका ने अपनी रक्षा की थी, अगर आप इस बिल को देखें तो हमने भी हिन्दुस्तान में अनुसंधान की रक्षा करने की व्यवस्था की है। उन्होंने एक संशोधन भी दिया है, जो सुबह मिलने के बाद मैंने उस पर अध्ययन किया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, एक तो स्टैंडिंग कमेटी ने हमको जो रेकमेंडेशंस दीं, जो आप 65 की भी बात कर रहे हैं, वह स्टैंडिंग कमेटी से आई हुई है, विचार के बाद वे सारी की सारी रेकमेंडेशंस हमने मान ली हैं । सिर्फ एक रेकमेंडेशन में हमने थोड़ा अंतर किया है। उन्होंने कहा था कि रजिस्टर होने के 7 दिन के अंदर आपको अखबारों में प्रकाशित करना चाहिए। हमको लगा कि हिन्दुस्तान सरकार की ब्यूरोक्रेसी की स्पीड को देखते हुए 7 दिन बहुत कम हैं, एक्च्युअली तो लॉ में लिखा था कि 'एज़ अर्ली एज़ पासिबल' और मैं महेश जी के लिए कह रहा हूं, but the bureaucrats insisted, "Keep it 'as early as possible'. Do not have any binding time-limit." We found a via media. The Committee had said, 'seven days'. I appreciate that seven days' time is a short period. Sometimes, holidays may be there. So, we made a minor change and made it 'fourteen working days'. We used the words 'working days' in order to avoid including Saturdays and Sundays; there are also so many public holidays - sometimes, a week may not have even two or three working days. So, except that minor change, we have accepted all other things recommended by the Standing Committee on Science and Technology.

Lastly, in clause 18, we ourselves brought in an amendment, which was not even recommended by the Committee, and that, in fact, takes care of Mrs. Maheshwari's suggestion. We have replaced the word 'similar' with the word 'identical'. So, any Indian can design the same chip with his own efforts, and if it is so designed by his efforts, his intellectual property rights will be secured under this provision. This also takes care of what the hon. Member said about the law that was brought in America in 1984. So, we have taken

all the safeguards in order to see that the Indian rights are protected. Now, I would request the House to pass this Bill unanimously...*(Interruptions)* सर, उन्होंने चेन्नई के ऑफिस का पूछा है, तो अभी रूल्ज़ बनेंगे तब ऑफिस तय होगा। I can only say that in the Information Technology area, five years from now, locations are going to become irrelevant because once electronic filing starts, you can file from anywhere. So, even if an office is there in Chennai, there will not be more than two people and, say, three computers. It will not be a big office coming up like the good old days. Certainly, we will consider the request of the hon. Member, Shri Duraisamy at the formation stage.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the protection of the semiconductor integrated circuits layout-designs and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*The question was put and the motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN:We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. There are six amendments to Clause 2 (Nos. 3 to 8) to be moved by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 2 (Definitions)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.3) That at page 2, line 15, *for* the words ' "Chairman" means the Chairman' the words ' "Chairperson" means the Chairperson' be ***substituted***..

(No.4) That at page 2, line 22, *for* the words "Chairman or such Vice-Chairman" the words "Chairperson or such Vice-Chairperson" be ***substituted***.

No.5) That at page 2, line 24, *for* the words "transistor or" the words "transistor and" be ***substituted***.

(No.6) That at page 2, line 28 *for* the words "Chairman or Vice-Chairman" the words "Chairperson or Vice-Chairperson" be ***substituted***.

(No.7) That at page 3, line 6, *for* the words "transistors or" the words "transistors and" be ***substituted***.

**1.00 P.M**

(No.8) That at page 3, line 11, *for* the words "Chairman or such Vice-Chairman" the words "Chairperson or such Vice-Chairperson" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 2, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 3 to 9 were added to the Bill.*

*Clause 10 (Advertisement of application)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.9) That at page 5, line 24, *for* the words "as soon as may be after" the words "within fourteen days after the date of" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 10, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 11 to 17 were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause 18. There are four amendments, three by the Shri Pramod Mahajan and one by Shrimati Sarla Maheshwari.

*Clause 18 (Infringement of layout-design)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 10) That at page 8, line 3, *for* the words "for the purposes" the words "for the limited purposes" be *substituted.*

(No. 11) That at page 9, line 1, *for* the word "similar" the word "identical" be *substituted.*

(No. 12) That at page 9, lines 2-3, the words "and claim to be so created before the date of registration of the registered layout-design" be *deleted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

SHRIMATI SARLA MAHESHWARI: Sir, I beg to move:

(No. 48) That at page 8, *after* sub-clause-6, the following be *inserted* namely:-

"(6A) Reverse engineering on any available layout design shall not be an infringement if the work produced by such engineering is itself original, not substantially similar to the first work, and involves significant toil and investment."

*The question was put and the motion was negatived.*

*Clause 18, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 19 to 32 were added to the Bill.*

**श्रीमती सरला माहेश्वरी:** सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहती थी कि मैं उन की बात से थोड़ी सी आश्वस्त नहीं हूं। मंत्री जी, यह देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए अगर आप दूसरे नजरिए से विचार करते तो बेहतर होता। मंत्री जी, आप भी चाहते थे कि अपने देश में इस प्रौद्योगिकी की हम रक्षा करें, हमारे वैज्ञानिकों की रक्षा करें और इसलिए अगर वास्तव में हमें उन की रक्षा करनी है तो पुख्ता रक्षा होनी चाहिए । उस में कोई छिद्र आप न छोड़ें। इसीलिए मैं ने सुझाव दिया था कि आप इस धारा में रिवर्स इंजीनियरिंग की प्रक्रिया जोड़ दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अपने वैज्ञानिकों को और ज्यादा सुरक्षा दे पाएंगे।

SHRI PRAMOD MAHAJAN: When I say, "similar is changed into identical," that is reverse engineering. With 'identical' everything comes under it.

**श्रीमती सरला माहेश्वरी:** वह उस से सर्व नहीं होगा। मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि वह मामला उस से सर्व नहीं होगा।

MR. CHAIRMAN: We shall take up Clause 33. There are four amendments by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 33 (Composition of Appellate Board)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 13) That at page 13, line 18, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 14) That at page 13, line 25, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted*.

(No. 15) That at page 13, line 31, *for* the word "Vice-Chairman" the word "Vice-Chairperson" be *substituted*.

(No. 16) That page 14, line 2, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted*.

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 33, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause 34. There are five amendments by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 34 (Qualifications for appointment as Chairman, Vice-Chairman, or other Members.)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 17) That at page 14, line 7, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted*.

(No. 18) That at page 14, line 9, *for* the word "Vice-Chairman" the word "Vice-Chairperson" be *substituted*.

(No. 19) That at page 14, line 10, *for* the word "Vice-Chairman" the word "Vice-Chairperson" be *substituted*.

(No. 20) That at page 14, line 25, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted*.

(No. 21) That at page 14, line 27, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted*.

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 34, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause 35. There are two amendments by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 35 (Term of office of Chairman, Vice-Chairman and Members)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 22) That at page 14, line 29, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 23) That at page 14, line 32 *for* the words "Chairman and Vice-Chairman" the words "Chairperson and Vice-Chairperson" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 35, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up clause 36. There are seven amendments by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 36 (Chairman or senior-most Member to act as Chairman or discharge his function in certain circumstances.)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 24) That at page 14, line 35, *for* the words "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted.*

(No. 25) That at page 15, line 1, *for* the word "Vice-Chairman" the word "Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 26) That at page 15, line 2, *for* the words "Chairman until the date on which a new Chairman" the words "Vice-Chairperson or until the date on which a new Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 27) That at page 15, line 5, for the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted.*

(No. 28) That at page 15, line 6, *for* the word "Vice-Chairman" the word "Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 29) That at page 15, line 7, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted.*

(No. 30) That at page 15, line 8, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 36, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause 37. There are four amendments by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 37 (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Chairman, Vice-Chairman and other Members)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN : Sir, I beg to move:

(No. 31) That at page 15, line 10, *for* the word "Chairman" The word "Chairperson" be *substituted.*

(No. 32) That at page 15, line 11, *for* the word "Vice-Chairman" the word "Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 33) That at page 15, line 13, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 34) That at page 15, line 15, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 37, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up Clause 38. There are five amendments by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 38 (Resignation and removal)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 35) That at page 15, line 16 *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 36) That at page 15, line 18, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 37) That at page 15, line 23, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 38). That at page 15, line 26 *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No. 39) That at page 15, line 30, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 38, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Now we shall take up Clause 39. There is one amendment by Shri Pramod Mahajan.

*Clause 39 (Resignation and removal)*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I beg to move:

(No. 40) That at page 15, line 39, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson", be ***substituted.***

***The question was put and the motion was adopted.***

***Clause 39, as amended, was added to the Bill.***

***Clauses 40 to 44 were added to the Bill.***

MR. CHAIRMAN: Clause 45. There is amendment No.41 proposed by the Minister.

*Clause 45 - Bar to appear before Appellate Board*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.41) That at page 17, line 26, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be ***substituted.***

***The question was put and the motion was adopted.***

***Clause 45, as amended, was added to the Bill.***

***Clause 46 was added to the Bill.***

MR. CHAIRMAN: Clause 47. There is amendment No.42 proposed by the Minister.

*Clause 47 - Power of Chairman to transfer cases from one Bench to another.*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No. 42) That at page 18, line 2, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be ***substituted.***

***The question was put and the motion was adopted.***

***Clause 47, as amended, was added to the Bill.***

***Clauses 48 to 55 were added to the Bill.***

MR. CHAIRMAN: Clause 56. There is amendment No.43 proposed by the Minister.

*Clause 56 - Penalty for infringement of layout-design*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No. 43) That at page 18, line 2, *for* the words "contravenes any" the words "contravenes knowingly and wilfully any" be ***substituted.***

***The question was put and the motion was adopted.***

***Clause 56, as amended, was added to the Bill.***

***Clauses 57 to 67 were added to the Bill.***

MR. CHAIRMAN: Clause 68. There is amendment No.44 proposed by the Minister.

*Clause 68 - Protection of security in India*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.44) **That at page 23, *for* lines 11-23, the following be *substituted* namely:-**

**"68. Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar shall --**

(a) **not disclose any information relating to the registration of a layout-design or any application relating to the registration of a layout-design under this Act which the Central Government considers prejudicial to the interest of the security of India; and**

(b) **take any action, including the cancellation of registration of a layout-design registered under this Act, which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in the interest of the security of India.**

Explanation -- For the purposes of this section, the expression "interest of the security of India' means any action necessary for the security of India which relates to the use of a layout-design or a semiconductor integrated circuit incorporating a layout- design or an article incorporating such semiconductor integrated circuit and which --

(a) relates to fissionable materials or the materials from which they are derived; or

(b) relates to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; or

(c) is taken in time of war or other emergency in international relations."

*The question was put and the motion was adopted.*

Clause 68, as amended, was added to the Bill.

*Clauses 69 to 95 were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: Clause 96. There are three amendments, No. 45, 46 & 47, proposed by the Minister.

*Clause 96 -- Power to make rules.*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.45) That at page 29, line 5, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" *be substituted.*

(No.46) That at page 29, lines 7-8, *for* the words "Chairman, Vice-Chairman" the words "Chairperson, Vice-Chairperson" be *substituted.*

(No.47) That at page 29, line 11, *for* the word "Chairman" the word "Chairperson" be *substituted.*

*The questions were put and the motions were adopted.*

*Clause 96, as amended, was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Clause 1. There is amendment No.2 proposed by the Minister.

*Clause 1 -- Short title, extent and commencement*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.2) That at page 1, line 5, *for* the figure "1999" the figure "2000" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN: The Enacting Formula. There is amendment No.1 proposed by the Minister.

*The Enacting Formula*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

(No.1) That at page 1, line 1, *for* the word "Fiftieth" the word "Fifty-first" be *substituted.*

*The question was put and the motion was adopted.*

*The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.*

*The Preamble and the Title were added to the Bill*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move:

*That the Bill, as amended, be passed.*

*The question was put and the motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: The House is now adjourned for lunch for an hour.

The House then adjourned for lunch at ten minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fourteen minutes past two of the clock,

THE DEUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up discussion on the working of the Ministry of Defence.

## DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF DEFENCE

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh) : Madam Deputy Chairperson, I am grateful to you for giving me this opportunity to initiate the discussion on the Ministry of Defence. Madam, I begin by paying my humble tribute and homage in all solemnity to the valiant martyrs of Kargil, our Armymen, Officers and Jawans belonging to all the three Forces and also by paying my respect to the families of these brave Defence personnel. Defence is a subject which transcends political differences. This, actually, is an assessment in the present about the future strategic concerns and the possible threats, in the context of history, our geographical situation. The defence policies and the working of the Ministry have to be anticipatory, sensitive and responsive to the changing situation. And the effort that has to be made for defence preparedness and combating effectively, I think, has to be backed by research and development, with a view to achieving self-reliance so that we are not left in the lurch at the time of difficulties. I am neither going into any political polemics, nor am I going into any history. I just would like to remind this House and also, through you, the hon. Defence Minister about the 19th Report (1992) of the Estimates Committee which, I think, is one of the most comprehensive overview of the defence needs of the country and the defence situation. This Report, particularly, says; I quote, "That the country did not have a clear, articulated and integrated defence policy despite having fought four wars and having launched operations in the neighbouring countries." The Ministry of Defence, while agreeing with this, remarked, and I just quote briefly, "The process of decision-making can become more effective if realistic defence plans are formulated on the basis of clear national security objectives and military aims." Again, the Action Taken Report of the Ministry of Defence goes on to say, "The absence of